

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली

क्रमांक: स्था./प.3/2011/124

दिनांक : 5.05.2011

:: आदेश ::

इस न्यायक्षेत्र में ग्राम न्यायालय के सृजन के कारण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक: स्था./विविध/आदेश/प.03/2008/206 दिनांक 04.10.08 एवं आदेश क्रमांक 242 दिनांक 21.10.10 को अधिलंघित (Supersede) करते हुये करौली न्याय क्षेत्र में कालम संख्या दो में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने अथवा किसी अन्य कारणवश इनके अनुपस्थित रहने पर इस न्यायालय के आवश्यक फौजदारी एवं दीवानी कार्य सम्पादित किये जाने हेतु कॉलम संख्या तीन में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिंक अधिकारी घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लिंक अधिकारी
1	2	3
01.	सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	अति. सिविल न्यायाधीश(व0ख0) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली
02.	अति.सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली
03.	सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	अति. सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली
04.	अति. सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली

नोट :

01. क्रम संख्या एक से चार तक के न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अनुपस्थित रहने पर इन न्यायालयों के कार्य का सम्पादन सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी द्वारा किया जावेगा ।
02. क्रम संख्या एक व दो के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अनुपस्थित रहने पर क्रम संख्या एक के न्यायालय के कार्य का सम्पादन क्रम संख्या तीन व क्रम संख्या दो के न्यायालय के कार्य का सम्पादन क्रम संख्या चार के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा सम्पादित किया जावेगा ।
03. क्रम संख्या तीन व क्रम संख्या चार के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अनुपस्थित रहने पर क्रम संख्या तीन के न्यायालय के कार्य का सम्पादन क्रम संख्या एक व क्रम संख्या चार के न्यायालय के कार्य का सम्पादन क्रम संख्या दो के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा सम्पादित किया जावेगा ।

05.	सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी	सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी
06.	सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी	अति. सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.-1, हिण्डौन सिटी
07.	अति. सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.-1, हिण्डौन सिटी	सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी
08.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौन	सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी

5/5/2011

